पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं0 1193/2024

गया जिला का शिकायत मामला सं0 967/2022 से उत्द्धत मामला

==========

1. राजीव नयन पुत्र-राजेंद्र प्रसाद निवासी-ओल्ड देवी मंदिर, उटा मोड, पो0 + थाना जहानाबाद, जिला + जहानाबाद पिन-804417

2. राजेंद्र प्रसाद पुत्र-स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद निवासी-ओल्ड देवी मंदिर, उटा मोड, पो0 + थाना -जहानाबाद, जिला।- जहानाबाद पिन-804417

3. सुनैना देवी @सुनैना कुमारी पत्नी-राजीव नयन निवासी-ओल्ड देवी मंदिर, उटा मोड, पो0+थाना-जहानाबाद, जिला।- जहानाबाद पिन-804417.

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य विधि विभाग के सचिव के माध्यम से पटना

2. अविनाश अरुण पुत्र-स्वर्गीय अनिलप्रसाद निवासी-पचाल्टी, पो0-बोधगया, थाना-बोध गया, जिला।- गया

3. पुलिस अधीक्षक, गया, जिला।गया, बिहार

4. एस. एच. ओ. थाना-बोधगया बिहार

..... उत्तरदातागण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री हंसराज, अधिवक्ता श्री संजीव रंजन, अधिवक्ता श्री रमाकांत राम, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी के लिए	:	सौरव कुमार, जी. ए-5 के ए0सी0

==========

भारतीय संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - रिट याचिका की पोषणीयता - समन का तमिल रिपोर्ट प्राप्त किए बिना, विद्वान मजिस्ट्रेट ने जमानती वारंट जारी किया और उसके बाद, गैर-जमानती वारंट और अंत में धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी की - समन की प्रक्रिया या

गिरफ्तारी के वारंट जारी करने का आदेश और धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रक्रिया न्यायिक आदेश हैं - याचिकाकर्ताओं ने विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी करने और पुलिस अधिकारी को याचिकाकर्ताओं के घर का ताला हटाने का निर्देश देने के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की - सिविल कोर्ट द्वारा पारित न्यायिक आदेश अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है - आरोपित आदेश विद्वान सत्र न्यायाधीश या इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण में दिखाया जा सकता है। उपरोक्त आदेशों के खिलाफ रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

(पैराग्राफ **10, 11, 14, 18** और **19)**

(2021) 5 **एससीसी** 524; (2023) **एससीसी ऑनलाइन एससी** 951; (2021) 2 **एससीसी** 427; 2025 **एससीसी ऑनलाइन एससी** 17; (2015) 9 **एससीसी** 1; (2021) 16 **एससीसी** 536; 2022 **एससीसी ऑनलाइन जम्मू और कश्मीर** 728; (2015) 5 **एससीसी** 423; (2019) 4 **एससीसी** 214—**निर्भर किया गया।**

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदे

==========

गणपूर्ति माननीय श्री जस्टिस विवेक चौधरी

कैव न्याय निर्णय

तारीखः28-02-2025

1. याचिकाकर्ता अभियुक्त व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 1 जुलाई, 2022 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गया के समक्ष एक अदालती शिकायत दर्ज की गई थी।उक्त शिकायत के आधार पर, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और आगे की कार्यवाही के लिए धारा 190 (1) (ए) के तहत मामले को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गया के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। 29 जुलाई, 2022 को शिकायकर्ता और छह अन्य गवाह। को अभियोजन पक्ष के तरफ जांच की गई और मजिस्ट्रेट ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत अपराध का संज्ञान लिया और 27 जनवरी, 2023 के आदेश के माध्यम से प्रक्रिया जारी की।हालाँकि याचिकाकर्ताओं को कोई समन जारी नहीं किया गया था, लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट ने 1 जुलाई, 2023 को जमानती वारंट जारी किया और बाद में, 22 सितंबर, 2023 को जमानती वारंट की तामिला रिपोर्ट प्राप्त किए बिना गैर-जमानती वारंट जारी किया गया, जिसमें गैर-जमानती वारंट की तामिला रिपोर्ट के लिए 7 दिसंबर, 2023 की तिथि तय किया गया।याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई गैर-जमानती वारंट तामिल नहीं किया गया था, लेकिन 21 फरवरी, 2024 को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 82 के तहत प्रक्रिया शुरू की गई थी।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत प्रक्रिया के आधार पर, पुलिस अधिकारियों ने 13 अप्रैल, 2024 को आरोपी के परिसर को सील कर दिया।याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत दर्ज शिकायत मामले संख्या 967/2022 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश, गया के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया, जिसे

विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I, गया द्वारा 3 मई, 2024 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से पूरी कार्रवाई मनमानी पूर्ण और शक्ति के रंगीन प्रयोग का एक स्पष्ट उदाहरण है। इसलिए, इस रिट याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की हैः.

i. न्यायिक अधिकारी को आगे की कार्यवाही से पहले प्रक्रिया की तामील सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए।

ii. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूर्व प्रक्रिया की तामील के बिना जारी किए गए जमानती वारंट दिनांक 01.07.2023 और गैर जमानती वारंट दिनांक 22.09.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए।

iii. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत दिनांक 10.01.2024 को पारित आदेश को वापस लेने के लिए आदेश जारी करने के लिए।

iv. याचिकाकर्ता के परिसर को अनलॉक करने के लिए आदेश जारी करने के लिए, जिसे क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारियों ने कानून की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए बंद कर दिया है।

v. किसी भी अन्य राहत के लिए जो भी यह माननीय न्यायालय उपलब्ध तथ्यों के आलोक में उचित समझे

3. इस रिट याचिका की सुनवाई के समय इस आशय का एक प्रारंभिक प्रश्न उठा कि क्या विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपने न्यायिक कार्यों का प्रयोग करते हुए पारित न्यायिक आदेश के खिलाफ, एक रिट याचिका बनाए रखने योग्य है या नहीं।

4. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता। यह प्रस्तुत करता है कि रिट याचिका तब कायम रखी जा सकती है जब विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है और केवल आरोपी को परेशान करने के लिए पारित किया जाता है।उस मामले में, न्यायिक आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके या C r.P.C की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके रद्द किया जा सकता है।

5. अपने तर्क के समर्थन में, वह **कपिल अग्रवाल व अन्य बनाम संजय शर्मा व अन्य (2021) 5 एस0सी0सी0 524** मे (रिपोर्ट किया गया) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख करते हैं।

6. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने मोहम्मद वाजिद और अन्य मामलों में एक अन्य मामले का भी उल्लेख किया। जो **मोहम्मद वाजिद व दुसरा वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य ऑनलाइन में रिपोर्ट किया गया एससी 951** के पैराग्राफ 32 से 34 में उपर्युक्त रिपोर्ट में इसे नीचे देखा गया हैः.

> *"32. हालाँकि, जैसा कि पहले देखा गया है, पहला सुचनादाता द्वारा सामने रखा गया पूरा मामला झुठा और मनगढ़ंत प्रतीत होता है।इस स्तर पर, हम भजन लाल (उच्चतम) के मामले में एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों का उल्लेख कर सकते हैं।मापदंड इस प्रकार हैंः—*
>
> *"(1) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध गठन नहीं होता है। तो अभियुक्त के खिलाफ कोई अपराध या मामला नही बनता है।*

(2) जहां प्राथमिकी में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में दंडाधिकारी के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया है।

(3) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए अविवादित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाया गया है।

(4) जहां प्राथमिकी में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी गई है।

(5) जहाँ प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और उसे जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट

प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से की जाती है।"

33. हमारी राय में, वर्तमान मामला ऊपर उल्लिखित उत्तर संख्या 1, 5 और 7 के पैरामीटर के अंतर्गत आता है।

34. इस स्तर पर, हम कुछ महत्वपूर्ण बात पर गौर करना चाहेंगे। जब भी कोई अभियुक्त न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करवाने के लिए आता है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफआईआर को ध्यान से और थोड़ा और बारीकी से देखे। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने आदि के गुप्त उद्देश्य से अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला करता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि एफआईआर/शिकायत सभी आवश्यक दलीलों के साथ बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई हो। शिकायतकर्ता यह

सुनिश्चित करेगा कि एफआईआर/शिकायत में किए गए कथन ऐसे हों कि वे कथित अपराध को बनाने के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा करें। इसलिए, अदालत के लिए केवल एफआईआर/शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करना ही पर्याप्त नहीं होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित अपराध को बनाने के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा किया गया है या नहीं। तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही में, अदालत का यह कर्तव्य है कि वह कथनों के अलावा मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली कई अन्य परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सावधानी के साथ पंक्तियों के बीच पढ़ने की कोशिश करे। सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय अदालत को खुद को केवल मामले के चरण तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मामले की शुरुआत/पंजीकरण के लिए समग्र परिस्थितियों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों को ध्यान में रखने का अधिकार है। उदाहरण के लिए इस मामले को ही लें। पिछले कुछ समय में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। ऐसी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में कई एफआईआर दर्ज करना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे निजी या व्यक्तिगत रंजिश के चलते बदला लेने का मामला सामने आता है।"

7. इसी मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) 2 एससीसी 427** में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जब

एफआईआर में दुर्भावनापूर्ण आपराधिक कार्यवाही और अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का आरोप शामिल होता है और प्रथम दृष्टया इसमें कोई अपराध नहीं दिखता है, तो रिट कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एफआईआर को रद्द कर सकता है।

8.याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **किम वानसू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** में दिए गए नवीनतम निर्णय का भी उल्लेख किया है, जिसकी रिपोर्ट **2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 17** में दी गई है। उक्त रिपोर्ट का पैराग्राफ 11 हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है और नीचे उद्धृत किया गया है।

> "11. प्रासंगिक स्थिति में, मोहम्मद वाजिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 5 में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना भी प्रासंगिक है, जिसके तहत इस न्यायालय ने, जहां तक यह प्रासंगिक है, इस प्रकार माना:—
>
> *"34 ..... न्यायालय के लिए केवल एफआईआर/शिकायत में दिए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा किया गया है या नहीं। तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मामले के अभिलेख से उत्पन्न होने वाली कई अन्य परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सतर्कता के साथ पंक्तियों के बीच पढ़ने का प्रयास करे। न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते*

समय केवल मामले के चरण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे मामले की शुरूआत/पंजीकरण के लिए समग्र परिस्थितियों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों को ध्यान में रखने का अधिकार है...।"

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से यह पता चलता है कि सभी मामलों में शामिल मुद्दा यह था कि क्या विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत आपराधिक कार्यवाही में एफआईआर को रद्द किया जा सकता है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने सकारात्मक उत्तर दिया। यह अब अनिवार्य नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत भी संवैधानिक न्यायालय इस सवाल का फैसला कर सकता है कि भजन लाल के मामले में निर्धारित मापदंडों के आधार पर एफआईआर और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही बनाए रखने योग्य है या नहीं।

10. हालांकि, इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। शिकायत वाद संख्या 967/2022 को सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करने के लिए शिकायतकर्ता और गवाहों की जिरह के लिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गया की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।

11. मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता और छह अन्य गवाहों से जिरह करने पर पाया कि उक्त शिकायत मामले में आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रक्रिया को निर्गत किया।

12. याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया है कि समन की तामील रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही विद्वान मजिस्ट्रेट ने जमानती वारंट और उसके बाद गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया और अंत में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रक्रिया शुरू कर दी।

समन या गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश और सीआरपीसी की धारा 82 के तहत प्रक्रिया न्यायिक आदेश हैं।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जोगेंद्रसिंहजी विजय सिंहजी बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2015) 9 एससीसी 1** में माना है कि किसी न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका को हमेशा सभी उद्देश्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत नहीं माना जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को भाग-III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह उच्च न्यायालय का न तो अपील है और न ही पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, हालांकि उक्त क्षेत्राधिकार को उच्च न्यायालय के सामान्य सिविल क्षेत्राधिकार के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यह अधिकार क्षेत्र, यद्यपि मूलतः अपने अपीलीय और पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्रों के विपरीत है, उन सभी क्षेत्रों में प्रयोग करने योग्य है जिनके संबंध में यह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है और सुविधा के लिए इसे असाधारण मूल अधिकार क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यदि ऐसा है, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका संबंधित अधिनियम के तहत कार्यवाही की निरंतरता है।

14. **राधेश्याम एवं अन्य बनाम छवि नाथ एवं अन्य, (2015) 5 एससीसी 423** में रिपोर्ट किए गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि सिविल कोर्ट द्वारा पारित न्यायिक आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है।

15. **झारखंड राज्य बनाम सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य, (2019) 4 एससीसी 214** में दिए गए निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है।

16. **नीलम मनमोहन अत्तावर बनाम मनमोहन अत्तावर (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से, (2021) 16 एससीसी 536** में रिपोर्ट किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आपराधिक पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती देने वाली रिट सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं।

17. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने **अब्दुल मजीद गनी बनाम अब्दुल रहीम भट और अन्य** के मामले में यही दृष्टिकोण अपनाया था, जिसकी रिपोर्ट **2022 एससीसी ऑनलाइन जेएंडके 728** में दी गई थी।

18. इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आगे नहीं आए हैं। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और पुलिस अधिकारी को याचिकाकर्ताओं के घर का ताला हटाने का निर्देश देने की प्रार्थना की।

19. इस न्यायालय के विचार में, आरोपित आदेश या तो विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष या इस न्यायालय में पुनरीक्षण में आक्षेपित किया जा सकता है। उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

20. उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय तत्काल रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं को राहत देने का कोई आधार नहीं पाता है।

21. उपरोक्त निर्देश के साथ, तत्काल याचिका, हालांकि, बिना किसी लागत के, खारिज कर दी जाती है।

(बिबेक चौधरी, न्यायमूर्ति)

एसकेएम/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।